रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935
No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 **फरवरी, 2014**

विषय:- चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम साइट्रेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं. 14/23/2013-डीजीएडी:—मैसर्स पोजी फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात आवेदक कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात अधिकारी कहा गया है) के समक्ष, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार एक आवेदन पत्र जन.गण (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम साइट्रेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने और पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए दायर किया है।

2. और यत:, प्राधिकारी प्रथमदृष्टया यह पाते हैं कि सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु का पाटन होने, घरेलू उद्योग को क्षति होने तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक सम्बंध विद्यमान होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराते है इसलिए प्राधिकारी कथित पाटन की अवस्थिति डिग्री और उसके प्रभाव तथा घरेलू उद्योग को उसके परिणाम स्वरूप हुई क्षति का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जो यदि उद्ग्रहित की गई तो घरेलू उद्योग की 'क्षति' को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत **एतद्द्वारा** एक जांच प्रारंभ करते हैं।

घरेलू उद्योग एवं आधार

3. यह आवेदनपत्र विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स पोजी फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। मैसर्स सुनील कैमिकल्स ने इस आवेदनपत्र का समर्थन किया है। दस्तावेजों में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, विषयगत माल के कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक के द्वारा किये गये उत्पादन का बहुत बड़ा अनुपात है। अत:, प्राधिकारी यह निश्चय करते है कि आवेदनकर्ता नियम 2 (ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है तथा यह आवेदनपत्र प्रमुख नियमों के नियम 5(3) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप उसके आधार की प्रक्रिया को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद ''सोडियम साइट्रेट'' है।

5. सोडियम साइट्रेट एक रासायनिक यौगिक होता है जो मोनोसोडियम साइट्रेट डाइसोडियम साइट्रेट और ट्रिसोडियम साइट्रेट के रूप में उत्पादित किया जाता है। सोडियम साइट्रेट साइट्रिक एसिड का सोडियम लवण है।

6. इसका प्रयोग मुख्यत: एक एक्सपेक्टोरेंट और एक यूरीन अल्कानाइजर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग एक औषध सम्बर्धक तथा दुग्ध उद्योग में खाद्य एडिटिव के रूप में किया जाता है जो चीज विनिर्माण और पेयों का काम करता है । यह एक जल उपचारी रसायन होता है और इसका प्रयोग प्रयोगशाला रिएजेंट के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग पेय पदार्थो में एसिडिटी नियामक और चीज बनाने के लिए आयल्स में इमल्सीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम साइट्रेट का प्रयोग खाद्य पदार्थ में एंटआक्सीडेंट के रूप में भी किया जाता है।

7. सोडियम साइट्रेट को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम अध्याय 29 के उप-शीर्षक सं. 29181520 के अंतर्गत ''साइट्रिक एसिड के लवण एवं ईस्टर्स: सोडियम साइट्रेट'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समान वस्तु

8. आवेदन ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही सम्बद्व वस्तु भारत में पाटित की जा रही सम्बद्व वस्तु के समरूप है। आवेदक ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सोडियम साइट्रेट और सम्बद्व देश से आयातित सोडियम साइट्रेट के कई पैरामीटरों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणर्धम, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यो एवं प्रयोगो, उत्पाद विनिर्देशनों कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय गुणधर्म है। दोनो ही प्रौद्योगिकीय एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें नियमावली के अंतर्गत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित सम्बद्व वस्तु और सम्बद्व देश से आयात की जा रही वस्तुओं को एक समान दर्जा दिया जा रहा है।

अंतर्ग्रस्त देश

9. वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद के चीन जन.गण. से कथित पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

10. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य का दावा भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है। नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार यह प्रकल्पना की जाती है कि चीन जन.गण. में सम्बद्व वस्तु के उत्पादक गैर बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के अंतर्गत प्रचालन करता है। गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रकल्पना के मद्देनजर तथा प्रत्युत्तरदाता निर्यात के द्वारा उसके खंडन के अध्यधीन चीन जन.गण. में सम्बद्व वस्तु के सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया गया है। आवेदक ने सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ का विधिवत समायोजन करके किया है।

निर्यात कीमत

11. आवेदक ने निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर किया है। कीमत समायोजन का दावा कमीशन सामुद्रिक भाड़ा, पत्तन व्यय, अंतरर्देशीय भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, वीएटी अंतर एवं बैंक कमीशन के कारण किया गया है।

पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना फैक्टरी बाह्य स्तर पर की गई है जो सम्बद्व देश के बारे में भारी पाटन मार्जिन प्रदर्शित करता है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है कि सम्बद्व देश में सम्बद्व वस्तु का सामान्य मूल्य फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जो, प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि सम्बद्व देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में

सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। भारी पाटन मार्जिन के पर्याप्त साक्ष्य है जो पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराते है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

13. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी है। क्षति अवधि के दौरान इस उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। सम्बद्ध आयातों में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के सम्बद्ध में वृद्धि हुई है। आयात घरेलू कीमतों का अधोरदन कर रहा है और घरेलू कीमतें 2011-12 तक आयातों से महत्वपूर्ण रुप से बढ़ गये हैं और तत्पश्चात कीमतों का अवमंदन किया है। घरेलू उद्योग पर आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, लगाई गई पूंजी पर आवक और नकद लाभ जैसे पैरामीटरों के रूप में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेश पर ऋणात्मक आवक सहन करना पड़ा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह वास्तविक क्षति सम्बद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है। सम्बद्ध देश **से** पाटित आयातों द्वारा कारित घरेलू उद्योग को क्षति के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच को प्रारंभ करना न्यायोचित ठहराते है।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

14. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि (पी ओ आई) 01.10.2012 से 30.09.2013 है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल 09 - मार्च 10, अप्रैल 10 - मार्च 11, अप्रैल 11 - मार्च 12 की अवधि तथा जांच की अवधि को कवर किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

15. सम्बद्ध देश के निर्यातकों भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात प्रयोक्ताओं और आयातकों तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरुप और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सम्बोधित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबध्द शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

16. कोई अन्य हितबद्व पक्षकार भी नीचे उल्लिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरुप और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी अन्य पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

17. वर्तमान जांच से संबंधित सूचना को लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय में पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते है।

18. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनो रुपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. प्रश्नोत्तर प्रत्युत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष किसी प्रस्तुति(इससे संबद्ध परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) को करने वाले पक्षों से इसे दो पृथक सेटों में यदि "गोपनीयता" का इसके किसी भाग पर दावा किया जाता है फाइल किया जाना अपेक्षित है:-

(क) एक सेट गोपनीय रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया है, और

(ख) एक अन्य सेट अगोपनीय के रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया है ।

20. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय " की प्रस्तुति प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय " रूप में स्पष्टत: चिन्हित की जानी चाहिए । ऐसे चिन्हों के बिना की गई प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय रूप में समझी जाएंगी और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि ऐसी प्रस्तुति को जांचने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षों को अनुमत करे । दोनों संस्करणों की सॉफ्ट कापी भी प्रत्येक के पांच(5) सेटों में हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा ।

21. गोपनीय संस्करण ऐसी सभी सूचना समाविष्ट किए होगा जो प्रकृति में गोपनीय हो और/अथवा अन्य सूचना जिसकी ऐसी सूचना की आपूर्ति करने वाला गोपनीयता के रूप में दावा करता हो । सूचना जिसका प्रकृति में गोपनीयता के रूप में दावा किया जाता है अथवा सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है के लिए, सूचना आपूर्तिकर्ता से आपूरित सूचना कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है के साथ एक उचित कारक विवरण दिया जाना अपेक्षित है ।

22. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए (यदि अनुक्रमणिका सम्भव न हो) और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की पर्याप्त समझ प्राप्त हो सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

23. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीय के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रुप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नही चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

24. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

25. प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. **पाटनरोधी** नियमावली के नियम 6(7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं कराता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी उनको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते है।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2014

Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of Sodium Citrate, originating in or exported from China PR.

No. 14/23/2013-DGAD:—M/s Posy Pharmachem Private Limited (hereinafter also referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty on the imports of Sodium Citrate, originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The Application has been filed by M/s Posy Pharmachem Private Limited, as domestic industry of the product under consideration. M/s Sunil Chemicals has supported the application. As per the evidence available on record, the production of the applicant accounts for major proportion of the total domestic production of the subject goods. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

4. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Sodium Citrate".

5. Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of monosodium citrate, disodium citrate and tri sodium citrate. Sodium Citrate is the sodium salt of citric acid.

6. It is mainly used as an expectorant and a urine alkanizer. It is also used as a pharmaceutical aid and as a food additive in dairy industries which cater in cheese manufacturing and beverages. It is a water treatment chemical and is used as a laboratory reagent. It is used as an acidity regulator in drinks, and also as an emulsifier for oils when making cheese. Sodium Citrate is also used as an antioxidant in food.

7. Sodium Citrate is classified in Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the subheading 29181520, as 'Salts and esters of citric acid: Sodium citrate'.

Like Article

8. The applicant has claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are identical to the subject goods being dumped into India. The applicant has claimed that sodium citrate produced by the petitioner and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Countries involved

9. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR.

Normal Value

10. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The petitioner has claimed normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. The applicant has determined the normal value based on cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

Export Price

11. The applicant has determined the export price on the basis of data published by the DGCI&S. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, VAT difference and bank commission.

Dumping Margin

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. There is sufficient evidence of the significant dumping margin to justify initiation of antidumping investigation.

Injury and Causal Link

13. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports. The demand for the product has increased over the injury period. Subject imports have increased in absolute terms and relative to production and consumption in India. The imports are undercutting the domestic prices and the imports have suppressed the domestic prices to a significant extent till 2011-12 and have thereafter depressed the domestic prices. With regard to consequent impact of the imports on the domestic industry, performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits, return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments. The petitioner has claimed that the material injury has been caused due to the dumped imports from the subject country. There is sufficient prima facie evidence of injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Period of Investigation (POI)

14. The Period of Investigation (POI) determined by the Authority is 01.10.2012 to 30.09.2013. The injury investigation period will, however, cover the periods Apr'09-Mar'10, Apr'10-Mar'11, Apr'11-Mar'12 and the Period of Investigation.

Submission of Information

15. The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

17. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

19. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

20. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

21. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

25. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

26. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.